बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

विषयः— बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी–2026 की स्वीकृति।

[Approval of Bihar Artificial Intelligence Policy 2026]

वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शोध, नवाचार एवं इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो।

राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सुशासन, नवाचार और भविष्य–उन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है, इसके लिए विश्वस्तरीय AI अनुसंधान को बढ़ावा देना, उद्योगों में AI के व्यापक उपयोग को गति प्रदान करना, बड़े पैमाने पर AI–आधारित कुशल मानव संसाधन का विकास करना तथा एक सुदृढ़ AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो राज्य में समावेशी आर्थिक विकास, उच्च–मूल्य रोजगार के अवसरों और सतत प्रगति को सुनिश्चित करे।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी–2026 प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उद्देश्य :—

i. राज्य को ए.आई (AI) कंपनियों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs), स्टार्टअप्स एवं डिजिटल उद्यमों के लिए एक प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना।

ii. ए.आई (AI) उत्पाद विकसित करने वाली कंपनियों, समाधान प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स तथा डेटा सेवा कंपनियों को राज्य में ए.आई (AI)–आधारित व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।

iii. इनक्यूबेशन, वित्तीय सहायता, मेंटरिंग, नवाचार चुनौतियों (Innovation Challenges) तथा बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराकर ए.आई. (AI) स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना।

iv. उत्कृष्टता केंद्रों, उद्योग/शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग तथा बौद्धिक संपदा के सृजन एवं व्यवसायीकरण के समर्थन के माध्यम से अप्लाइड AI अनुसंधान एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करना।

v. कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन को बढ़ावा देकर उद्योग की आवश्यकताओं एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना।

vi. शासन एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों– जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण तथा शहरी सेवाओं में AI के उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा सेवा प्रदाय में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

vii. AI इनोवेशन हब, डेटा प्लेटफॉर्म, कम्प्यूट एनवायरनमेंट्स, आईटी पार्क तथा प्लग–एंड–प्ले सुविधाओं सहित AI संचालन के लिए आवश्यक सक्षम अवसंरचना का विकास करना।

viii. एथिकल AI प्रथाओं, डेटा गवर्नेंस मानकों तथा सभी जिलों की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि AI–आधारित विकास न्यायसंगत, समावेशी एवं सतत् रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

3. नीति के अध्याय–7 में AI इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

3.1 (क) पूंजी निवेश सब्सिडी :

5 करोड़ रुपये के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (एफसीआई) वाली AI इकाइयों को एफसीआई पर 30% एकमुश्त कैपेक्स सपोर्ट मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये होगी। परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन केवल आरबीआई पंजीकृत वित्तीय संस्थान या बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट में भूमि खरीद,, भवन खरीद अथवा निर्माण, एआई अवसंरचना, प्लांट एवं मशीनरी, सर्वर, उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) अवसंरचना, GPU क्लस्टर, डेटा प्रोसेसिंग उपकरण, पूर्व–प्रशिक्षित फाउंडेशन मॉडल के अधिग्रहण/लाइसेंस की लागत तथा अन्य एआई–संबंधित पूंजीगत परिसंपत्तियाँ शामिल होंगी। इसमें देय स्टाम्प शुल्क एवं भूमि रूपांतरण शुल्क भी सम्मिलित होंगे।

भूमि का लागत मूल्य, भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश के 20% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, अनुमोदित परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना रिपोर्ट में

उल्लिखित भूमि की वास्तविक लागत या भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 20%, जो भी कम हो, अनुमान्य होगा।

इस अनुदान की प्रतिपूर्त्ति कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद पाँच (5) समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी।

या

(ख) ब्याज अनुदान :

i. आरबीआई से पंजीकृत बैंक/वित्तीय संस्थान से इकाई द्वारा लिए गए टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को "ब्याज अनुदान" की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

ii. टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10% तक का ब्याज दर, जो भी कम हो, ब्याज अनुदान के लिए अनुमान्य होगा।

iii. बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत परियोजना पर कुल परियोजना लागत का 50% या अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये, जो भी कम होगी, ब्याज अनुदान के रूप में देय होगा।

iv. प्रोमोटर के द्वारा इकाई में किये गये अंशदान पर कोई ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

v. इस प्रोत्साहन की प्रतिपूर्त्ति कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद शुरू होगी और 5 वर्षों तक वार्षिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पूंजी निवेश सब्सिडी या ब्याज अनुदान के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन में से कोई एक लाभ ही अनुमान्य होगा।

3.2 क्लाउड अवसंरचना (GPU या समकक्ष) उपयोग प्रोत्साहन :

पात्र AI इकाइयों को क्लाउड–आधारित कंप्यूटिंग अवसंरचना के किराये पर किए गए व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें होस्टिंग, कंप्यूटिंग, स्टोरेज तथा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) या समकक्ष हाई–परफॉरमेंस कंप्यूट संसाधनों का उपयोग शामिल होगा, जो AI/ML मॉडल विकास, परिनियोजन तथा संबंधित परिचालनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रोत्साहन के अंतर्गत, ऐसी क्लाउड अवसंरचना के उपयोग पर किए गए पात्र व्यय का 50% (अधिकतम रु० 1 करोड़ प्रतिवर्ष) वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

3.3 लीज रेंटल सब्सिडी :

लीज पर लिए गए कार्यालय अथवा व्यवसायिक स्थल से संचालित होने वाली पात्र AI इकाईयों को वार्षिक लीज किराये की राशि का 50% लीज रेंटल प्रोत्साहन निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन 5 वर्षों तक प्रतिपूर्त्ति किया जाएगा :–

i. कार्यालय स्थल राज्य में अवस्थित होना चाहिए।

ii. प्रति कर्मचारी कार्य स्थल 100 वर्ग फुट सुपर बिल्ट–अप क्षेत्र से अधिक नहीं मान्य होगा।

iii. इस प्रोत्साहन की गणना के प्रयोजन हेतु, पॉलिसी अधिसूचना वित्तीय वर्ष के लिए लीज दर 57.5 रुपये प्रति वर्गफुट प्रति माह तक सीमित होगी और बाद के वित्तीय वर्षों के लिए इस सीमा में सालाना 2.5 रुपये की वृद्धि की जाएगी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अधिकतम लीज दर/वर्गफुट/माह (रुपए)
1	प्रथम वर्ष	57.5
2	द्वितीय वर्ष	60
3	तृतीय वर्ष	62.5
4	चतुर्थ वर्ष	65
5	पंचम् वर्ष	67.5

* लीज डीड पंजीकृत होने चाहिए और न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

3.4 पॉवर टैरिफ सब्सिडी :

AI इकाईयों के वार्षिक विद्युत विपत्र के 25% राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक की जाएगी। इस मामले में "विद्युत विपत्र" में किसी भी लागू छूट/पेनाल्टी को हटाने के बाद फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्जेज एवं इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी प्रतिपूर्त्ति हेतु शामिल होंगे।

3.5 रोजगार सृजन सब्सिडी (ईएसआई और ईपीएफ सहित) :

नियोक्ता के द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई (जहां लागू हो) में जमा की गयी राशि की 100% प्रतिपूर्त्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रु० प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी। यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगी।

3.6 SGST प्रतिपूर्ति :–

सभी पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्षों तक उनके द्वारा आईजीएसटी तथा एसजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तत्समय उपलब्ध एवं अनुमान्य राशि के उपभोग के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा किए गए एसजीएसटी मद् की राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

कुल नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एफसीआई की 100 प्रतिशत होगी। हालाँकि, वार्षिक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एफसीआई की अधिकतम 30 प्रतिशत होगी।

3.7 AI मॉडल विकास प्रोत्साहन :

राज्य उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लार्ज फाउंडेशनल मॉडलों (Large Foundational Models) के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा, जिनमें भाषा मॉडल, विज़न मॉडल, मल्टीमॉडल मॉडल्स, स्पीच एवं ऑडियो मॉडल, कोड मॉडल तथा डोमेन–विशिष्ट मॉडल शामिल होंगे। इन मॉडलों में न्यूनतम 70 बिलियन पैरामीटर होना आवश्यक होगा। उन्हें विकास लागत का 2/3 (दो–तिहाई) एकमुश्त प्रोत्साहन, अधिकतम ₹ 10 करोड़ की सीमा तक प्रदान किया जाएगा।

3.8 AI इकाइयों के लिए निर्यात प्रोत्साहन :

(क) एआई सॉफ्टवेयर, SaaS, API, एआई परामर्श, डेटा एनोटेशन, प्रबंधित एआई सेवाओं आदि का विदेशी ग्राहकों को निर्यात करने वाली पात्र इकाइयों को वार्षिक निर्यात कारोबार का 1% प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के भारतीय रुपये समतुल्य पर आधारित होगा। अधिकतम ₹ 1 करोड़ प्रति वित्तीय वर्ष, अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा।

(ख) एआई–आधारित हार्डवेयर, रोबोटिक्स, एआई–सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एआई सॉफ्टवेयर युक्त भौतिक मीडिया तथा अन्य एआई उत्पादों का निर्यात करने वाली पात्र इकाइयों को भी वार्षिक निर्यात कारोबार (FOB मूल्य) का 1% प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन शिपिंग बिल एवं सीमा शुल्क निर्यात दस्तावेजों के आधार पर देय होगा। अधिकतम ₹ 1 करोड़ प्रति वित्तीय वर्ष, अधिकतम 5 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा।

3.9 अतिरिक्त सहायता :

(क) विभिन्न प्रोत्साहनों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी/महिला/दिव्यांगजन/ वार विडो/एसिड अटैक सर्वाइवर/थर्ड जेंडर उद्यमियों को अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति की एआई इकाई में न्यूनतम 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए तथा उसे कंपनी/संस्था में निदेशक या समकक्ष पद पर होना चाहिए।

(ख) पटना और दानापुर नगर निगम क्षेत्रों के बाहर स्थापित AI इकाइयों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.10 टेलर मेड इंसेंटिव पैकेज :

वैसी AI मेगा इकाईयाँ, जो राज्य में कम से कम 100 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर रही हो, कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए पात्र होंगे। कस्टमाइज्ड पैकेज प्रोत्साहन, इस नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन से अतिरिक्त हो सकते हैं जिसे केस–टू–केस बेसिस पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

4. पॉलिसी की अवधि :–

यह पॉलिसी अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी।

5. वित्तीय प्रोत्साहनों पर निर्णय एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु नीति के अध्याय 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकार इस प्रकार होंगे :–

i. सभी निवेश प्रस्तावों को चरण–I की स्वीकृति हेतु राज्य के राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (SIPB) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस चरण में प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाएगा तथा निवेशक को आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पॉलिसी के अनुसार दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि का निर्धारण इस स्टेज पर तय किया जाएगा। यह मंजूरी निवेशक को स्टेज-I की मंजूरी के बाद किसी भी समय, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन से पहले एक नए आवेदन के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।

ii. 5 करोड़ रुपये और उससे कम के निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जबकि, 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए आवेदन राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखे जाएंगे एवं एसआईपीबी निवेश प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन राशि की मात्रा की अनुशंसा करेगा।

iii. वित्तीय प्रोत्साहनों पर अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकार इस प्रकार होंगे :–

पात्र निवेश प्रस्ताव	सक्षम प्राधिकार
5 करोड़ रुपये या उससे कम	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग।
5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 15 करोड़ रुपये तक	माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग।
15 करोड़ रुपये से अधिक एवं 30 करोड़ रुपये तक	माननीय मंत्री, वित्त विभाग एवं माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से।
30 करोड़ रुपये से अधिक	मंत्रिपरिषद्

6. सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस नीति को लागू किया जाएगा।

7. नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक, इस नीति और सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नीतियों के लिए समय–समय पर जारी शर्त्तों, प्रक्रियाओं, निर्देशों, स्पष्टीकरण या संशोधन के अधीन होंगे।

8. सूचना प्रावैधिकी विभाग का निवेश संवर्धन एवं सुविधा सेल (इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एण्ड फैसिलिटेशन सेल)/प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) नीति के कार्यान्वयन में सहयोग करेगा।

9. सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत स्पष्ट कार्य–उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के साथ एक समर्पित AI स्ट्रेटजी टास्कफोर्स और AI सेल की स्थापना की जाएगी।

10. सूचना प्रावैधिकी विभाग इस संकल्प के अन्तर्गत किसी भी प्रावधान अथवा योजना के संबंध में नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी व्याख्या करने तथा आवश्यक स्पष्टीकरण/निर्णय देने के लिए अधिकृत होगा। विभाग के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

11. नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी तथा अभिप्रभावी होगा।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 28.10.2026 को मद् संख्या–28 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06 सू०प्रा०–26/2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियां मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06 सू०प्रा०–26/2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

I.T. Manager

ज्ञापांकः 06 सू०प्रा०–26 / 2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06 सू०प्रा०–26 / 2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06 सू०प्रा०–26 / 2026 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 06 सू०प्रा०–26 / 2026 2271 पटना, दिनांक 04/11/26

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

4/11/26

सरकार के सचिव।